न्यायालय–अनन्यतः विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

जमानत आवेदन नंबर– 142/2026
अपराध क्रमांक 112/2026
CNR MP1001-001661-2026

मोहम्मद फरमान पिता जफर अली, आयु–25 साल,
निवासी–पालरा, जिला बाघपत, उत्तर प्रदेश. हा.मु.
कन्नन रेसीडेंसी केवीएमएस, पोंकुन्नम, जिला कोट्टयम, केरल
.....आवेदक/आरोपी

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना महेश्वर
जिला खरगोन (म.प्र.)
.....अभियोगी

.....

01.07.2026 आवेदक/आरोपी की ओर से व्ही.सी. के माध्यम से श्री जैरी लोपेज अधिवक्ता उपस्थित एवं भौतिक रूप से श्री लखन भावरे अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री पी.एस. अलावा विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्रीमती श्वेता शुक्ला ने उपस्थित होकर पुलिस थाना महेश्वर जिला खरगोन के अपराध क्रमांक 112/2026 धारा 137(2), 81, 83, 87 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 9 बाल विवाह प्रतिषेध अधि. तथा धारा 3(2)(v), 3(2)(va) अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधि. 1989 की केस डायरी मय प्रतिवेदन के प्रस्तुत की।

पीड़िता की माता की ओर से अधिवक्ता श्री विजय जोशी ने अभिभाषक पत्र सहित अग्रिम जमानत आवेदन पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत की, जिसकी नकल अभियुक्त के अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण अभियुक्त मोह. फरमान के अग्रिम प्रतिभूति आवेदन पत्र पर तर्क/विचार हेतु नियत है।

आवेदक/आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन एवं तर्क में दर्शाया गया है कि यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता **प्रथम** आवेदन पत्र होकर, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र किसी भी अन्य न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है और न ही निराकृत हुआ है। इस संबंध में समर्थनकारी शपथ पत्र दिनांक 26.06.2026 का मोहम्मद फरमान पिता जफर अली स्वयं का प्रस्तुत भी किया है।

केस डायरी अनुसार विवरण निम्नानुसार है:–

अपराध क्रमांक	112/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	25.03.2026
आरक्षी केन्द्र का नाम	महेश्वर
अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकार्ड	संलग्न नहीं है।
अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक	निरंक
जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का स्तर	**प्रथम** अग्रिम जमानत आवेदन पत्र
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	निरंक

आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत बाबद **प्रथम** आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.ए.नं.142/2026) पर उभयपक्ष को सुना गया।

इस आदेश के द्वारा आवेदक/आरोपी मोहम्मद फरमान की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत बाबद् **प्रथम** आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन व तर्क संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसके विरूद्ध पुलिस थाना महेश्वर द्वारा असत्य अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दिनांक 25.08.2025 को फरियादी पिता ने स्वयं पीड़िता को वायुयान से केरला में मलयालम फिल्म की शुटिंग हेतु पीड़िता को साथ ले जाकर अपनी सहमति से फिल्म शुटिंग में भाग लिया था और वहां पर पीड़िता व अभियुक्त के साथ फरियादी पिता भी पूरे समय उपस्थित रहा और कोई आपत्ति तत्समय नहीं ली थी। पिता द्वारा साथ में लाने से व्यपहरण का कोई अपराध आरोपी के विरूद्ध नही बनता है।

दिनांक 10.03.2026 को फरियादी पिता ने पीड़िता को उसके रिश्तेदार से विवाह करने हेतु धमकाया तो पीड़िता ने अभियुक्त के साथ जाकर थंपानूर पुलिस थाना में दिनांक 11.03.2026 को स्वयं का 18 वर्ष से अधिक आयु का वयस्क होना सत्यापित किया था और पीड़िता की शिकायत एनेक्सचर ए6 के रूप में थाने पर दर्ज की गई थी। पीड़िता के पिता ने तत्समय थाने पर कोई आपत्ति नहीं कर वह, बिना पीड़िता को लिये, वापस लौट गया था। तत्पश्चात् पीड़िता और अभियुक्त ने परस्पर सहमति से विधिवत् विवाह, मंदिर में कर स्थानीय विवाह संबंधी नियम के अंतर्गत उनके विवाह का पंजीयन एनेक्सचर ए 4 अनुसार करवाया था।

आवेदन में यह भी उल्लेखित है कि तत्पश्चात् षडयंत्र के अंतर्गत पीड़िता की अवयस्कता के बारे में असत्य दस्तावेज तैयार कर फरियादी ने अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अप.क्र. 112/2026 की असत्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसके संबंध में अभियुक्त द्वारा माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.06.2026 के द्वारा अभियुक्त की ट्रांजिट अग्रिम जमानत को एनेक्सचर ए7 अनुसार स्वीकार करते हुए एक माह तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। शासकीय दस्तावेजों में कूटरचना कर पीड़िता को अवयस्क दर्शाकर अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। पीड़िता की वयस्कता के दस्तावेज इस जमानत आवेदन के साथ एनेक्सचर दो के रूप में संलग्न प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रार्थी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्यायदृष्टांत लतासिंह वि. उ.प्र. राज्य (2006)5 एससीसी 475 एवं शफीन जहां वि. अशोकन के.एम. (2018)16 एससीसी 368 तथा पृथ्वीराज चौहान वि. भारत संघ (2020)4 एससीसी 727 का संदर्भ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि आवेदक/आरोपी को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जावे।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने लिखित जवाब नहीं देना प्रकट कर आवेदन पर आपत्ति व्यक्त की और जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

तर्क सुनने के पश्चात् केस डायरी एवं प्रतिवेदन/पत्रावली का अवलोकन किया गया।

केस डायरी अनुसार अभियुक्त मोहम्मद फरमान के विरूद्ध पुलिस थाना महेश्वर में अपराध क्रमांक 112/2026 अंतर्गत धारा 137(2), 81, 83, 87 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 9 बाल विवाह प्रतिषेध अधि. तथा धारा 3(2)(v), 3(2)(va) अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधि. 1989 पंजीबद्ध किया गया है। चुंकि धारा 137(2) बी.एन.एस. भी समाहित है व केस डायरी में पीड़िता को अवयस्क दर्शाया गया है, ऐसी स्थिति में इस विशेष (पाक्सों) न्यायालय को क्षेत्राधिकार होने से अग्रसर किया गया है।

केस डायरी के अनुसार दिनांक 25.03.2026 को पुलिस थाना महेश्वर में पीड़िता के पिता ने इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि उसकी अवयस्क लड़की पीड़िता को फिल्मों और गानों में काम मिलने लगा था। दिनांक 27.02.2026 को शुटिंग का काम खत्म कर वह वापस म.प्र. में अपने घर आ गये थे। तभी उसकी लड़की पीड़िता मोबाईल पर बातचीत कर रही थी तो पूछने पर उसे पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त फरमान उसे फोन पर फिल्मों में काम दिलाने का बोलकर केरल बुला रहा हैं। फिर अभियुक्त फरमान के द्वारा वायुयान की टिकट बुक करने पर वह

और पीड़िता केरल गये, जहां अभियुक्त ने उन्हें घुमाया और काम दिलाने का पूछने पर अभियुक्त फरमान ने उसे कहा कि पीड़िता के लिये काम है, उसे यहीं छोड़ जाओ, जब तुम्हारे लिये काम मिलेगा तब तुम्हें वापस बुला लेंगे।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित है कि फरियादी ने अभियुक्त फरमान से पीड़िता से मिलने व बात कराने को कहा तो अभियुक्त ने उसे कहा कि पीड़िता शुटिंग कर रही है, अभी नहीं मिल सकती, तुम वापस महेश्वर चले जाओ। उसने पीड़िता से मिलने की कोशिश की तो उसे अभियुक्त ने पीड़िता से नहीं मिलने दिया और उसे भगा दिया। उसे महेश्वर आने के बाद फेसबुक, व्हाट्सअप के वीडियो से पता चला कि अभियुक्त फरमान ने उसकी लड़की पीड़िता से शादी कर ली है। उसकी लड़की नाबालिग होकर भला–बुरा नहीं समझती है। अभियुक्त फरमान ने उसे बहला फुसलाकर व फिल्मों में काम दिलाने का लालच देकर महेश्वर से केरल बुलाया और उसकी मर्जी के बिना पीड़िता से शादी कर ली। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना महेश्वर पर अपराध क्रमांक 112/2026 अंतर्गत धारा 137(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

केस डायरी में संलग्न पीड़िता के माता–पिता के धारा 183 बीएनएसएस के कथन दिनांक 04.05.2026 में पीड़िता का नाबालिग होना उनके द्वारा प्रकट किया गया है। केस डायरी अनुसार अनुसंधान अपूर्ण होकर पीड़िता की दस्तयाबी एवं उसके कथन भी अवशेष है। थाने से प्रस्तुत कैफियत प्रतिवेदन क्रमांक 2043, दिनांक 01.07.2026 में अभियुक्त फरमान द्वारा अनुसंधान में सहयोग नही किये जाने और उसके फरार रहने व साक्ष्य को प्रभावित करने संबंधी बिंदु उल्लेखित हैं।

यद्यपि अभियुक्त की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्यायदृष्टांत लतासिंह वि. उ.प्र. राज्य (2006)5 एससीसी 475 एवं शफीन जहां वि. अशोकन के.एम. (2018)16 एससीसी 368 तथा पृथ्वीराज चौहान वि. भारत संघ (2020)4 एससीसी 727 का संदर्भ प्रस्तुत किया गया हैं *किंतु* अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता के 18 वर्ष से कम आयु का होने से उसकी सम्मति होने का बिंदु महत्वहीन है और केस डायरी में संलग्न पीड़िता का असल जन्म प्रमाण पत्र पर उसका पंजीकरण दिनांक 30.12.2009 उल्लेखित होकर अभियुक्त द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत असत्य जन्म प्रमाण पत्र एनेक्सचर ए2 पर पंजीकरण दिनांक 05.06.2025 है जो पश्चातवर्ती प्रक्रम पर असत्य रूप से तैयार करवाया जाना दर्शाता है। अभियोजन की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 30.12.2009 की पंजीकरण तिथी कई वर्ष पूर्व की होकर उनका प्रमाण पत्र विश्वसनीय है व पीड़िता की जन्म

दिनांक 30.12.2009 होना ही सही है।

अभियोजन की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94(2) के अनुसार एनेक्सचर ए2 में सम्मिलित आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासबुक आदि जन्म तिथी निर्धारण हेतु दस्तावेज नही ं है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3(2)(v), 3(2)(va) अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधि. 1989 के आरोप होने से अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रचलनीय भी नहीं है।

उभयपक्ष द्वारा जन्म तिथी के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज विचारण के दौरान साक्ष्य की विषयवस्तु है। इस अग्रिम जमानत आवेदन के निराकरण हेतु उक्त दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन इस प्रक्रम पर नहीं किया जा सकता है। केस डायरी अनुसार अनुसंधान अपूर्ण होकर पीड़िता की दस्तयाबी एवं उसके कथन भी अवशेष है। थाने से प्रस्तुत कैफियत प्रतिवेदन क्रमांक 2043, दिनांक 01.07.2026 में अभियुक्त फरमान द्वारा अनुसंधान में सहयोग नही किये जाने और उसके फरार रहने व साक्ष्य को प्रभावित करने संबंधी बिंदु उल्लेखित हैं।

उपरोक्त सभी चरणों में उल्लेखित परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण में ऐसे कोई आधार प्रकट नहीं है कि आरोपी मोह. फरमान को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जा सके।

प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त मोह. फरमान को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक/अभियुक्त मोह. फरमान का अग्रिम जमानत बावत् **प्रथम** आवेदन पत्र धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बाद विचार निरस्त किया जाता है।

केस डायरी मय जमानत आदेश की प्रति सहित सीलबंद कर संबंधित थाने को लौटाई जावे।

अग्रिम जमानत आवेदन (बी.ए.नं.142/2026) निराकृत।

परिणाम दर्ज कर पत्रावली अभिलेखागार मे जमा किया जावे।

सही/–
(रवि झारोला)
अनन्यतः विशेष न्यायाधीश,
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण
अधिनियम, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

RAVI ZAROLA

Digitally signed by RAVI ZAROLA
Date: 2026.07.01 17:48:56 +0530